बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
होशंगाबाद रोड़, भोपाल

क्रमांक 122/R/2019 दिनांक 05/07/2019

अधिसूचना

म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डबल्यू.एस.) के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चूंकि विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में प्रवेश के पंजीयन की अंतिम तिथि दिनांक 5-7-2019 है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ दिये जाने के उद्देश्य से प्रवेश पंजीयन की अंतिम तिथि 5-7-2019 से बढ़ाकर दिनांक 15-7-2019 की जाती है।

जो छात्र पूर्व में अपना पंजीयन करा चुके हैं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वे छात्र अपने आय का प्रमाण-पत्र राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित पत्र निश्चित प्रारूप **(संलग्न)** में प्राप्त कर संबंधित विभाग में 15-7-2019 तक आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन करा चुके छात्रों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृष्ठ क्रमांक 123/R/2019 दिनांक 05/07/2019

प्रतिलिपिः-

1. कुलपतिजी के निज सचिव के माध्यम से मा. कुलपतिजी को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
3. उपकुलसचिव, अकादमी/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्ररूप

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम..

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-......................

दिनांक-.............................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पति/पुत्री.. ग्राम/कस्बा...
पोस्ट ऑफिस...थाना...
तहसील................................ जिला...................................... राज्य...
पिन कोड.................. के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी)।
II. जिसके पास 1200 वर्गफूट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी..जाति.................................... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर................(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार